कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-26/2016-17/

दिनांक : /08/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, खानपुर

जिला- हरिद्वार

विषय : क्षेत्र पंचायत खानपुर का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 4 (ब)-1 में **01** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **05** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 26/2016-17/ **दिनांक: /08/2016**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4- जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 के लिये खण्ड़ विकास अधिकारी, खानपुर (हरिद्वार) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

(i) श्रीमती ईशी चौधरी, - प्रमुख क्षेत्र पंचायत

(ii) श्री मुनेश कुमार त्यागी, प्रभारी, खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री सतेन्द्र कुमार स.ले.प.अ.

(ii) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.

(iii) श्री पी.एल. शर्मा स.ले.प.अ.

(iv) श्री अशोक कुमार व.ले.पे.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 18.07.2016 से 25.07.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं. खानपुर,** जनपद **हरिद्वार**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र :-- 14276 हेक्टेयर

जनसंख्या : 53260

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 21

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या: बैठक: 05

5- कर्मचारियों की संख्या : 25

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - आवासीय भवन, भूखण्ड, कार्यालय भवन

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 10

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः कार्यालय **खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायत, खानपुर, जनपद- हरिद्वार** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ. के पर्यवेक्षण मे श्री पी.एल.शर्मा स.ले.प.अ., श्री सतेन्द्र कुमार, स.ले.प.अ. एवं श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. द्वारा दिनांक 18.07.2016 से 25.07.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4(ब)-1**	**भाग 4(ब)-2**
AIR-38/2014-15	प्रस्तर -01	प्रस्तर -01से 04

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर: -	

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची: -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख:- अग्रिम पंजिका तैयार नहीं की जाती हैं।

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 1: कार्य आरम्भ हुए बिना ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र जारी करना तथा ` 2,81,860/- की धनराशि की सामग्री का क्रय किया जाना।

कार्यालय जिला विकास अभिकरण हरिद्वार के पत्रांक 1134/एम.पी.लैडस/लेखा 5/2015-16 दिनांक 16.09.2015 के द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत खण्ड़ विकास अधिकारी, खानपुर को गोवर्धनपुर में बाल्मिकी मन्दिर से जू.हा.तक 400 मी. सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु कार्य की स्वीकृत राशि ` 4.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त की राशि के रुप में ` 3.00 लाख की राशि निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रेषित की गयी थी।

1. अवमुक्त धनराशि अलग बचत खाते में रखी जाएगी तथा अर्जित ब्याज अभिकरण को वापिस किया जायेगा।
2. सामग्री का क्रय स्टोर पर्चेज नियमों के अनुसार किया जायेगा।
3. कार्य आरम्भ करने की सूचना माननीय सांसद महोदय को भी समय से अवगत करायी जायेगी।
4. कार्य समापन के लिए समय सीमा 06 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए यदि कार्य पूर्ण होने में इससे अधिक समय लगता है तो इसके लिए अभिकरण स्तर से पूर्व अनुमति ली जानी आवश्यक होगी।

इकाई के वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि उक्त कार्य के क्रियान्वन हेतु इकाई द्वारा अपने एस्टीमेट संख्या 305 दिनांक 28.09.2015 के अनुसार संबन्धित ग्राम विकास अधिकारी तथा अपर सहायक अभियंता आर.ई.एस. को कार्यादेश[1] जारी कर दिये गये थे। इकाई द्वारा सामग्री क्रय करने हेतु तीन साप्लायर फर्मो से कोटेशन ली गई। आगे जाँच में पाया गया कि सामग्री क्रय करने हेतु कोटेशन के आधार पर जो तुलनात्मक चार्ट बनाया गया था उस पर तीसरे सदस्य (खण्ड़ विकास अधिकारी) के हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे अर्थात सामग्री क्रय करने हेतु इस तुलनात्मक चार्ट पर तीसरे सदस्य की सहमति नहीं थी। उपरोक्त कार्य के लिए सामग्री खरीदने हेतु सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी के आवेदन पर भी खण्ड़ विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। तुलनात्मक चार्ट में तथा सामग्री क्रय करने हेतु आवेदन पर भी खण्ड़ विकास अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के बावजूद श्रीराम सीमेन्ट स्टोर, (TIN संख्या 05009792369) लालचंदवाला रोड़ं, गोवर्धनपुर जिला हरिद्वार से निम्नानुसार ` 2,81,860/- की सामग्री क्रय की गईः-

---

1 **कार्यदेश पत्रांक 749 लेखा-1/सांसद निधि/कार्यादेश/2015-16 दिनांक 30.09.2015**

बिल संख्या	बिल दिनांक	बिल की धनराशि
358	04.10.2015	91,950.00
359	04.10.2015	91,950.00
361	04.10.2015	91,960.00
	कुल धनराशि	**2,81,860.00**

बिलों के अनुसार उपरोक्त सामग्री को सम्बंधित ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा कार्यस्थल पर प्राप्त किया गया। इकाई द्वारा उपरोक्त बिलों से ` 5,638/- की आयकर की कटौती करके इकाई द्वारा ` 2,76,222/- की धनराशि का भुगतान चैक (चैक क्रमांक 366451 दिनांक 06.10.2015) के द्वारा श्रीराम सीमेन्ट स्टोर के पक्ष में किया गया। आगे जाँच में पाया गया कि संबन्धित ग्राम विकास अधिकारी तथा अपर सहायक अभियंता, आर.ई.एस. द्वारा कार्य की माप तौल दर्शाते हुये कार्यपूर्ति का जाँच विवरण एवं प्रमाण पत्र (फार्म नं. डी.पी.सी.9) जारी कर दिया गया।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार के पत्रांक 43/एम.पी.लैडस/2016-17 दिनांक 08.04.2016 के द्वारा खण्ड़ विकास अधिकारी खानपुर, हरिद्वार को यह सूचित किया गया कि मा.सांसद द्वारा पहले कार्य (**ग्राम गोवर्धनपुर में बाल्मिकी मंदिर से जूनियर हाई स्कूल तक 400 मी.सी.सी. मार्ग निर्माण**) को निरस्त कर उसके स्थान पर जूनियर हाई स्कूल से बाल्मिकी मंदिर की ओर सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु कार्य की अनुशंसा की गयी है।

जब इकाई से वर्तमान में कार्य की स्थिति के बारे में पूँछा गया तो इकाई ने अपने चौंकाने वाले प्रत्युत्तर में बताया कि कार्य लेखापरीक्षा की तिथि तक आरम्भ ही नहीं हुआ है।

उपरोक्त के संबंध में इकाई से जब यह पूँछा गया किः-

(i) तुलनात्मक चार्ट पर स्वीकृति न होने के बावजूद सामग्री किस प्रकार क्रय की गई ?

(ii) जब कार्य लेखापरीक्षा की तिथि तक आरम्भ ही नहीं हुआ है तो ` 2,81,860/- की सामग्री का क्रय क्यों किया गया ?

(iii) जब सामग्री का उक्त कार्य पर प्रयोग ही नहीं हुआ तो कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र कैसे जारी कर दिया गया ?

लेकिन इन पर इकाई द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1: विभिन्न मदों से सम्पन्न कराये गये कार्यों की ` 21.03 लाख की बचत राशि अवरुद्ध रहना।

क्षेत्र पंचायत को विधायक निधि एवं 13वे वित्त से प्राप्त धनराशि द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में कराये गये निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया किः-

विधायक निधि से प्राप्त धनराशि से वर्ष 2014-15 व 2015-16 में जो कार्य पूर्ण कराये गये थे उन पर स्वीकृत धनराशि से कम व्यय होने के कारण क्रमशः ` 2,16,752/- व ` 17,22,012/- कुल ` 19,38,764/- की धनराशि बचत के रुप में अवरुद्ध पड़ी थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया था।

13वें वित्त से वर्ष 2014-15 व 2015-16 में पूर्ण कराये गये कार्यों से क्रमशः ` 1,37,615/- व ` 26,613/- **(कुल ` 1,64,228/-)** की धनराशि कम व्यय होने के कारण बचत के रुप में पडी थी जिसे सम्बन्धित विभाग को वापस नहीं किया गया था।

इस प्रकार दोनों मदों से कराये गये कार्यों की कुल बचत राशि ` 21,02,992/- विभाग के पास अवरुद्ध पड़ी थी जिसको नियमानुसार सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि सम्बन्धित विभागों से प्राप्त धनराशि को कार्यों के पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बचत राशि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार वापस किया जाना चाहिए था। वित्तीय हस्तपुस्तिका के अनुसार लम्बे समय तक धनराशि का उपयोग ना होना तथा अवरुद्ध पडे रहना वित्तीय अनियमितता है।

अतः ` 21.03 लाख की अवरुद्ध धनराशि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2(अ): इकाई द्वारा वाहन संचालक के भुगतान से स्रोत पर ` 5,040/- के आयकर की कटौती करके आयकर के शीर्ष में जमा न किया जाना।

आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 194C के अनुसार यदि किसी कार्य[1] हेतु अनुबंधकर्ता को विभाग द्वारा कोई भुगतान नगद, चैक अथवा ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है तो उस पर 2% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जानी चाहिए।

खण्ड़ विकास अधिकारी, खानपुर के वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्ष जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 के मध्य श्री संजीव कुमार गिरि, वाहन संचालक को वाहन किराये के रुप में निम्नलिखित भुगतान किया गयाः-

वाहन किराये का माह, जिसका भुगतान किया गया	चेक संख्या	दिनांक	धनराशि
Apr-2014	335617	10.06.2014	14,000
May/June-2014	335620	14.07.2014	28,000
July-2014	821560	02.08.2014	14,000
Aug to Oct-2014	573568	04.02.2015	42,000
Nov 14 to Aug 15	416376	15.10.2015	1,40,000
Sep-15	573572	15.02.2016	14,000
कुल योग			**2,52,000**

उपरोक्त भुगतान पर आयकर नियम के अनुसार 2% की दर से स्रोत पर ` 5.040/- के आयकर की कटौती नहीं की गई।

इसे इंगित किये जाने पर, खण्ड़ विकास अधिकारी, खानपुर द्वारा तथ्यों की पुष्टि करते हुये यह आश्वासन दिया गया कि सम्बन्धित वाहन संचालन से आयकर की वसूली करके आयकर के लेखा शीर्ष में जमा करा दी जाएगी।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई को भुगतान करते समय ही स्रोत पर आयकर की कटौती की जानी चाहिए थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

---

1 आयकर अधिनियम, 1961 के सेक्शन 194C(iv)(c) के अनुसार कार्य में वे कार्य भी सम्मिलित होते है जिसमें रेलवे के आलावा किसी अन्य माध्यम से सवारी का परिवहन किया गया हो।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3(अ): इकाई द्वारा वाहन को किराये पर रखते समय उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन न किया जाना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार बाह्य सेवाएँ लेते समय नियमावली के चैप्टर-4 (Procurement of Services) के अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।

खण्ड़ विकास अधिकारी, खानपुर के वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि मुख्य विकास अधिकारी, मनरेगा, हरिद्वार ने अपने पत्रांक 2330/नाजिर-मनरेगा/2012-13 दिनांकित 06 फरवरी 2013 के द्वारा वित्तीय नियमों के पूर्ण परिपालन के निर्देश के साथ खण्ड़ विकास अधिकारी खानपुर, जनपद-हरिद्वार को मनरेगा योजनान्तर्गत स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण कार्यों हेतु मासिक किराये पर वाहन रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। इकाई को वाहन किराये पर रखने हेतु तीन वाहन संचालकों क्रमशः श्री नशीम अहमद, श्री अनुज गोस्वामी एवं श्री संजीव कुमार गिरि से कोटेशन प्राप्त हुई। उपरोक्त तीनों वाहन संचालकों द्वारा उपलब्ध कराई गई कोटेशनों में न ही तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर था और न ही उन पर तिथि अंकित थी। इसके बावजूद श्री संजीव कुमार गिरि के वाहन को न्यूनतम कोटेशन के आधार पर किराये पर रख लिया गया। वाहन किराये पर रखते समय वित्तीय नियमों का पूर्ण परिपालन नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर, खण्ड़ विकास अधिकारी, खानपुर द्वारा बताया गया कि भविष्य में नियमों का अनुपान किया जायेगा। इकाई द्वारा इन वाहन संचालकों के रजिस्ट्रेशन से संबन्धित कोई भी दस्तावेज लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये वाहन संचालक रिजस्टर्ड वाहन संचालक है अथवा नहीं।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर संतोषजनक नही है क्येंकि मुख्य विकास अधिकारी, मनरेगा, हरिद्वार के द्वारा वाहन को किराए पर रखने की स्वीकृति देते समय वित्तीय नियमों के पूर्ण परिपालन के स्पष्ट निर्देश दिये गए थे।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2(ब): विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि पर आर्जित ब्याज ` 5.92 लाख राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 347/वि0आ0 निदे0(तृ0रा0वि0अ0)/2013 दिनांक 01-04-2013 के अनुसार जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध धनराशि से प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में लेखाशीर्षक "0049 ब्याज प्राप्तियाँ" मे जमा कराया जाना था या सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना चाहिए था।

क्षेत्र पंचायत खानपुर की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत द्वारा शासन के आदेशों का अनुपालन न कर ब्याज की धनराशि सम्बन्धित लेखों/अनुदानों के खातों में ही जमा थी उसे सम्मिलित कर राजकोष में जमा नहीं किया गया था जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र0स0	मद का नाम	ब्याज की धनराशि
1.	विधायक निधि	2,66,210=00
2.	राज्य वित्त	1,12,760=00
3.	13 वाँ वित्त	1,39,933=00
4.	दैवीय आपदा	14,423=00
5.	सांसद निधि	17,312=00
6.	क्षेत्र पंचायत वि0 निधि	41,164=00
	कुल योग	**5,91,802=00**

उपर्युक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि अर्जित ब्याज की धनराशि को जमा करने की कार्यवाही की जाएगी तथा सम्बन्धित विभागों से पत्राचार किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासन के स्पष्ट निर्देशों के विपरीत मदों के तहत प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करने के बजाय विभाग के बैंक खातों मे अवरुद पड़ी थी।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4: ` 19.94 लाख का अनियमित व्यय।

1. क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 में 13वें वित्त से प्राप्त अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि उक्त मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में उल्लिखित किया गया था कि संक्रमित राशि को शासन के निर्देशानुसार पथ प्रकाश, पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण, स्वच्छता, परिसम्पित्तयों का अपने हाथ से रख रखाव कर उनका अनुरक्षण किया जाना, इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत आदि के कार्य किये जाऐंगें। तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला अधिकारी महोदय से प्रतिहस्ताक्षरित करा कर जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार उत्तराखण्ड, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, सचिव पंचायतीराज को उपलब्ध कराए जाने के निर्देश थे।

क्षेत्र पंचायत द्वारा 13वें वित्त से प्राप्त धनराशि से वर्ष 20114-15 में विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु ` 20,57000/- की धनराशि स्वीकृत की गई थी विभाग द्वारा दिशा-निर्देशों के विपरीत 19 कार्यों अर्थात सी0सी0 सड़क निर्माण के कार्यों पर ` 19,19,385/- की धनराशि व्या की गई थी, जो कि पूर्णतः शासनादेशों का उल्लंघन है।

2. इसी प्रकार विधायक निधि से ` 1.00 लाख की धनराशि से वर्ष 2015-16 में "**ग्राम भनौरी में राजकीय कन्या इन्टर कालेज**" में फर्नीचर सप्लाई कार्य हेतु श्री इरफान अंसारी, ग्रा0वि0अ0) को पत्र संख्या 1358 दिनांक 22-03-2016 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। परन्तु अभिलेखों में प्राचार्य द्वारा वांछित अधिप्राप्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र नहीं था। स्वीकृत राशि के सापेक्ष ` 75000/-की धनराशि अवमुक्त की गई थी। न्यूतम कोटेशन के आधार पर मो0 सलीम एसोसियन द्वारा दिनांक 25-03-2016 को सामग्री उपलब्ध कराई गई थी जिस पर(कैश मेमों) पर केवल ग्रा0वि0अ0/ सहायक अभियन्ता द्वार प्राप्ति के हस्ताक्षर थे तथा विक्रेता को चैक स0 523767 दिनांक29-03-2016 को ` 74550/- का भुगतान किया गया था। फर्निचर प्राप्ति से सम्बन्धित कोई भी साक्ष्म अभिलेखों में संलग्न नही था, जैसे फोटो ग्राफ, सामग्री की गुणवता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र, कालेज की स्टाक पंजिका में अंकन एवं पृष्ठ संख्या, प्राचार्य द्वारा सामग्री की अधिप्राप्ति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न किए बिना ही सम्बन्धित विक्रेता को सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान किया गया था। इस प्रकार ` 74,550/- का अनियमित भुगतान(व्यय) किया गया था।

इस प्रकार अनुदानों पर कुल ` 19,93,935/- (` 19,19,385+74,550) का अनियमित व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि 13वें वित्त के कार्यो में सड़क निर्माण के साथ-साथ के.सी. टाईप नाली भी बनाई जाती है। जिसका उल्लेख प्राक्कलन में पृथक रुप से नहीं किया जाता है, तथा कार्यों को क्षेत्र समिति द्वारा बैठक में पारित कराने के उपरान्त ही कराया गया है। विधायक निधि से प्राप्त सामग्री के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्राचार्य से प्रार्थनापत्र एवं अन्य अभिलेख प्राप्त कर संलग्न किये जायेगें तथा भविष्य में नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि दिशा-निर्देशों के विपरीत एवं शासन द्वारा पारित आदेशों का पालन न करना गम्भीर अनियमितता है तथा समस्त अभिलेखों एवं प्रमाणपत्रों को उपलब्ध कराये बिना भुगतान करना अनियमितता है।

अतः ` 19.94 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 5:- ` **79.76 लाख के अपूर्ण कार्य।**

क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 व 2015-16 में विधायक निधि तथा तालाब निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया किः-

1. विधायक निधि के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 व 2015-16 में स्वीकृत कुल 160 कार्यों में 26 कार्य जुलाई 2016 तक अपूर्ण थे। वर्ष 2014-15 के 05 तथा 2015-16 के 21 कार्य अपूर्ण थे जिनकी स्वीकृत लागत क्रमशः ` 60,80,000/- एवं 10,73,000/- थी। अवमुक्त राशि ` 8,05,000/- व ` 45,63,000/- के सापेक्ष ` 6,53,013/- एवं ` 37,68,517/- व्यय की गयी थी। इस प्रकार कुल 26 अपूर्ण कार्यो पर धनराशि ` 53,68,000/- के सापेक्ष ` 44,21,530/- व्यय करने के उपरांत भी कार्य अपूर्ण थे।

2. तालाब निर्माण एवं विकास योजना हेतु वर्ष 2015-16 मे प्राप्त धनराशि ` 8,23,000/- से कराये गए 03 कार्य अपूर्ण थे। कार्यो पर ` 7,13,751/- की धनराशि व्यय की गयी थी। कार्यादेश संख्या -04 दिनांक 09/06/2015 को निर्गत किये गए थे। इस प्रकार एक वर्ष की अवधि के पश्चात भी कार्य पूर्ण नही किए गए थे।

दोनों अनुदानों से प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले 29 कार्य जुलाई 2016 तक अपूर्ण थे, जिन पर स्वीकृत धनराशि ` 79,76,000/- तथा अवमुक्त धनराशि ` 61,91,000/- के सापेक्ष ` 51,35,281/- व्यय की गयी थी। परंतु कार्ययोजनाओं का लाभ प्राप्त नही किया जा सका था।

लेखापरीक्षा के दौरान इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि समस्त कार्य पूर्ण करने हेतु संबन्धित ग्राम विकास अधिकारियों/ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है। पानी भरने के कारण तालाब सौन्दर्यीकरण के कार्य पूरे नही किए जा सके। कार्यो का शीघ्र मापन कर अंतिम भुगतान कर पूर्ण कर लिया जाएगा तथा दूसरी किस्त की प्राप्ति हेतु ज़िला स्तर से पत्राचार किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्यों में एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण थे। कार्यो का समय पर पूरा न होने के कारण कार्ययोजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है जिसके कारण स्थानीय जनता को वांछित लाभ से वंचित होना पड़ता है तथा कार्यों पर होने वाले व्यय में सामग्री दरों में वृद्धि होने से कार्य योजना प्रभावित हो सकती है जिसका प्रभाव अन्य योजनाओं पर पड़ सकता है।

अतः ` 79.76 लाख के अपूर्ण कार्यों से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3(ब): उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्ध ` 31.93 लाख के कार्यों का कार्यादेश के आधार पर कराया जाना।

उत्तराखण्ड़ अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम -39 के अनुसार ` 15,000/- से ` 1,00,000/- एवं 15 जून 2015 से ` 50,000/- से 3,00,000/- तक की धनराशि के कार्यों को कार्यादेश के आधार पर कराया जा सकता है।

कार्यालय की निधियों की जाँच में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान ` 31.93 लाख की धनराशि के कार्यों **(संलग्नक के अनुसार)** को कार्योदेश के आधार पर कराया गया जोकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उल्लघंन है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया गया कि भविष्य़ में अनुपालन किया जायेगा, जनहित में कार्य अति आवश्यक होने के कारण कार्यादेश के आधार पर कराये गये है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि केवल आपात स्थिति में ही ` 5.00 लाख के कार्य कार्यादेश के आधार पर कराये जाते है, जिसमें सक्षम अधिकारी के द्वारा कारणों का उल्लेख किया जायेगा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

'संलग्नक'

क्र.स.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (` लाख में)
	राज्य वित्त आयोग (2014-15)	
1.	ग्राम गोरधनपुर में मेन सड़क से नगली धोबी के धर तक मेन सड़क से सुरेन्द्र सिहं सैनी के धर तक, जयपाल भगत के कौने से कुँवरपाल के घर तक सी.सी. सड़क निर्माण	1.15
2.	ग्राम पोडोवाली में राकेश के घर से जूनियर हाई स्कूल की ओर सी.सी. सड़क निर्माण	2.00
3.	ग्राम गोरधनपुर में विजयपाल पुत्र फूलसिंह के प्लॉट के सामने से मुकेश पुत्र भरत सिंह के मकान तक सी.सी. सड़क निर्माण	1.59
4.	ग्राम तुलगलपुर में चौहल के घर से राजपाल के घर तक सी.सी. सड़क निर्माण	1.08
	सांसद निधि (2015-16)	
5.	ग्राम गोरधनपुर में बाल्मिकि मंदिर से जूनियर हाई स्कूल तक सी.सी. सड़क निर्माण	4.00
6.	ग्राम माजरी में शिवमंदिर से लहमदपुर मार्ग की ओर सी.सी. सड़क निर्माण	4.00
7.	ग्राम गोरधनपुर में ग्राम पंचायतों में सभागार निर्माण	4.00
	विधायक निधि (2014-15)	
8.	बाजूहेड़ी में श्मशान घाट की छतरी का निर्माण कार्य	3.00

9.	मुर्करबपुर में बारात घर की चहारदीवारी का निर्माण कार्य	2.90
10.	बढेड़ी राजपूतान मं हाफिज पीरवाली मस्जिद का सौन्दर्यीकरण कार्य	3.00
11.	केल्हनपुर में बारातघर के पास शौचालय निर्माण कार्य	2.21
12.	मेहवड़कला में श्मशान घाट की छतरी का निर्माण कार्य	3.00
	कुल	**31.93**

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3(स): उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमवली के अनुसार कोटेशन प्राप्त न किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम-9 के अनुसार ` 50,000/- से ` 3,00,000/- तक की सामग्री के क्रय हेतु तीन लोगों की एक कमेटी का गठन किया जायेगा जो की मार्केट का सर्वे करेगी और सामग्री के अनुसार विक्रेता का चयन करेगी और कम से कम तीन विक्रेताओं से लिफाफाबंद सम्बन्धित सामग्री के रेट लेगी, विक्रेता कोटेशन लेटर में मोहर और हस्ताक्षर सहित लिफाफाबंद निविदाँए देगा जिसको कमेटी के सामने खोला जायेगा जिस विक्रेता का रेट सबसे कम होगा उससे सामग्री क्रय की जायेगी।

इकाई की क्षेत्र पंचायत विकास निधि की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित कार्य जिसके लिए कोटेशन ली गई है एक कोटेशन पारस इलैक्ट्रिकल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर से ली गई जो कि केवल इलैक्ट्रिकल सप्लायर है। कोटेशन फोटो कॉपी पर ली गई तथा उसमें सम्बन्धित सप्लायर की मुहर एवं हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इससे स्पष्ट होता है कि विभाग के द्वारा कोटेशन मही ढ़ंग से प्राप्त नहीं की जा रही है।

क्रमांक	**कार्य का नाम**	**अनुमानित लागत**
1.	ग्राम तुगलपुर में मैन रोड़ से रविदास की ओर सी.सी. मेन रोड़ से अंबेडकर मार्ग तक सी.सी., मेन रोड से अंबेडकर पार्क तक सी.सी. मार्ग।	` 1.00 लाख

इसे इंगित किये जाने पर विभाग के द्वारा बताया गया कि कोटेशन संबन्धित सप्लायर के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई तथा उक्त कोटेशन को अन्य कोटेशनों में सम्मिलत कर लिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सम्बन्धित विक्रेता का चयन कमेटी के द्वारा बाजार का सर्व करने के बाद किया जाता है ओर उनसे कोटेशन प्राप्त की जाती है। जबकि इकाई द्वारा इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।